Government of Himachal Pradesh
Department of Information Technology
****

No. IT-(F)010/19/2021-IT-BRANCH HP Sectt. **Dated:** Shimla-2, , 2023

NOTIFICATION

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Information Technology (*hereinafter referred to as the Department*), is administering the (Himachal Online Seva) eDistrict portal (*hereinafter referred to as the portal*) to provide different services of various departments to citizens through online mode, which is being implemented through the Department of Information Technology (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*);

And whereas, under the portal, different services (*hereinafter referred to as the benefit*) are given to the citizens of the State (*hereinafter referred to as the beneficiaries*), by the Implementing Agency as per the guideline of the Services;

And whereas multifaceted benefits under various social welfare schemes implemented by different departments of the State, such as Women and Child Development Department, Empowerment of SC's OBC's Minorities and Specially Abled (ESOMSA), Agriculture and Horticulture departments, etc are being provided through the portal along with provision of essential certificates used for determining the eligibility for various social welfare schemes;

And whereas, the portal involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of State of Himachal Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Government of Himachal Pradesh hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

   (2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to

make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), before registering for the scheme, provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals subject to production of the following documents, namely:-

I: For children below 18 years of age

(a) if the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or bio-metric update identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department:

II: For beneficiaries above 18 years of age

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or .

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be

given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses I.(b) and I.(c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. In order to ensure that no bona fide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the State Governments and Union Territory Administrations shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

6. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order

(Abhishek Jain)
Secretary (IT) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. As above Dated: 2023

Copy for necessary action is forwarded to:

1. The Regional Office, Unique Identification Authority of India (UIDAI), Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Chandigarh.
2. All the Administrative Secretaries to the Govt. of HP, Shimla-2.
3. All the Head of Departments in Himachal Pradesh.
4. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
5. Guard File.

(Torul S Raveesh)
Special Secretary (IT) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

संख्याः आई0टी0(एफ)010/19/2021 आई0टी0–शाखा हि0 प्र0 सचिवालय तारीखः शिमला–2, 2023

अधिसूचना

सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिद0 ान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विभाग' कहा गया है) ऑनलाइन रीति के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों की विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु (हिमाचल ऑनलाइन सेवा) ई– डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'पोर्टल' कहा गया है) प्रशासित कर रहा है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कार्यान्वयन अभिकरण' कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

पोर्टल के अधीन, विभिन्न सेवाएं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रसुविधा' कहा गया है) राज्य के नागरिकों (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'लाभार्थी' कहा गया है) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा सेवाओं के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान की जाती है;

राज्य के विभिन्न विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण, कृषि और बागवानी विभाग आदि द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक कल्याण स्कीमों के अन्तर्गत बाहुल्यपूर्ण प्रसुविधाएं, विभिन्न सामाजिक कल्याण स्कीमों हेतु पात्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त अनिवार्य प्रमाण–पत्रों के उपबन्ध सहित पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है;

और पूर्वोक्त पोर्टल में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत होने वाला आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थातः–

1. (1) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्राप्त करने की वाँछा रखने वाले व्यष्टि को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।

(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाले व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व अपने माता–पिता या संरक्षक की सहमति के अध्यधीन (बालक लाभार्थी की दशा में) आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसे बालक आधार का अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 कम अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि सम्बंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यू0 आई0 डी0 ए0 आई0 के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर या स्वंय यू0आई0डी0ए0आइ0 रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा;

परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:—

I. अठारह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए

(क) यदि बालक को पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अभ्यावेशित बायोमैट्रिक संग्रहण सहित उसकी आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची या अद्यतन बायोमैट्रिक पहचान पर्ची के साथ किया गया है; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:—

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख; या
(ii) माता—पिता के नाम सहित स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र; और

(ग) विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार लाभार्थी के माता—पिता या विधिक संरक्षक के साथ सम्बन्ध के प्रमाण—पत्र के रूप में निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज, अर्थात्

(i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख; या
(ii)राशन कार्ड; या
(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदयी स्वास्थ्य योजना (ई0सी0एच0एस0) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) कार्ड; या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सी0जी0एच0एस0) कार्ड; या
(iv)पेंशन कार्ड; या
(v) सेना कैंटीन कार्ड; या
(vi) कोई सरकारी कुटुम्ब हकदारी कार्ड; या
(vii) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

II. अठारह वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए

(क) यदि उसने स्वयं को अभ्यावेशित कर दिया है, तो उसकी आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज है, अर्थात्:—

(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी लेखा संख्या (पी.ए.एन.) कार्ड; या

(iii) पारपत्र (पासपोर्ट); या

(iv) राशन कार्ड;या

(v) मतदाता पहचान कार्ड; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र; या

(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच विभाग द्वारा उस, प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधापूर्वक प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाए करेगा कि स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षाओं हेतु उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के अस्पष्ट बायोमिट्रिक या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी अर्थात्

(क) अस्पष्ट उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंखों की पुतली स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन प्रसुविधाएं अंगीकृत की जाएगी तद्द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाएं प्रदान करने हेतु विभाग उंगली छाप प्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन की प्रसुविधा की व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) यदि उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं है तो, जहां कही भी साध्य और अनुज्ञेय हो, वहां अधिप्रमाणन यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड द्वारा या सीमित समय वैधता सहित समय अधारित एक बार पासवर्ड सहित प्रदान किया जाएगा।

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमीट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधाए, आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युतर कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर कोड का अर्थ लगाने के लिए विभाग द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।

4. उपरोक्त अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी बालक को स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधा प्रदान करने से, यदि वह अधिप्रमाणन द्वारा पहचान सिद्ध करने में असफल रहता है, या आधार नम्बर धारण करने के सबूत प्रस्तुत न करने या किसी ऐसे बालक, जिसे कोई आधार नम्बर समनुदेशित नहीं किया गया है की दशौ में अभ्यावेश्न के लिए आवेदन प्रस्तुत न करने पर इनकार नहीं किया जाएगा। उसे प्रसुविधा पैरा 1 के उप–पैरा (3) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) में यथा वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की गई है तो उसको रिकोर्ड करने के लिए एक पृथक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा, जिसे विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से कालिकतः पुनर्विलोकन और संपरीक्षित किया जाएगा।

5. यह सुनिश्चित करने के आशंय से कि कोई वास्तविक लाभार्थी (बालकों से अन्यथा) स्कीम के अधीन उनको देय प्रसुविधाओं से वंचित न हों, राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग और संघ क्षेत्रिय प्रशासन डी0बी0टी0 मिशन कैबिनेट सैकेटेरिएट भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन डी–26011/04/2017 तारीख 19 दिसम्बर, 2017 (https:dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध है) में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद व्यवहृत क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,

(अभिषेक जैन)
सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सख्याः यथोपरि। तारीख शिमला–2 , 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चण्डीगढ़।
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
5. संरक्षण नस्ति।

(तोरूल एस रवीश)
विशेष सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।